



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 5920/अका./वि.परि./2015

रायपुर, दिनांक : 7/10/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 23.09.2015 को अपराह्न 3:00 बजे डॉ.सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रोफे. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
4. डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
5. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7. डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
8. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
9. डॉ. आर.पी. दास	—	सदस्य
10. डॉ. ज्योति पाण्डेय	—	सदस्य
11. डॉ. जया तिवारी	—	सदस्य
12. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
13. डॉ. रामकिशोर मिश्र	—	सदस्य
14. डॉ. माया वर्मा	—	सदस्य
15. डॉ. स्वप्निल कर्महे	—	सदस्य
16. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	—	सदस्य
17. डॉ. अंजना ठाकुर	—	सदस्य
18. डॉ. आर.के. ब्रम्हे	—	सदस्य
19. डॉ. प्रियम्बदा श्रीवास्तव	—	सदस्य
20. डॉ. दिनेशनंदिनी परिहार	—	सदस्य
21. डॉ. आभा आर. पाल	—	सदस्य
22. डॉ. सरला शर्मा	—	सदस्य
23. डॉ. आर. एन. बघेल	—	सदस्य
24. डॉ. के.के. घोष	—	सदस्य
25. डॉ. प्रभा रोहतगी	—	सदस्य
26. डॉ. कविता ठाकुर	—	सदस्य
27. डॉ. एस.के. पाण्डेय	—	सदस्य
28. डॉ. एच.के. पाठक	—	सदस्य
29. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
30. डॉ. रेखा पिपलगांवकर	—	सदस्य
31. डॉ. माया शेडपुरे	—	सदस्य
32. डॉ. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
33. डॉ. अरुण कुमार	—	सदस्य
34. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
35. डॉ. ज्योति रवि तिवारी	—	सदस्य
36. डॉ. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
37. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
38. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
39. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
40. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
41. डॉ. रक्षा सिंह	—	सदस्य

42. डॉ. ममता शर्मा	—	सदस्य
43. डॉ. आर.एन. सिंह	—	सदस्य
44. डॉ. राजीव तिवारी	—	सदस्य
45. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
46. डॉ. प्रिया राव	—	सदस्य
47. डॉ. अनुभा झा	—	सदस्य
48. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सदस्य

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय: विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
4. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (Rural Planning and Development) में संशोधन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: क्षेत्रीय अध्ययनशाला एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (Rural Planning and Development) में संशोधन करते हुए एम.ए. रूरल डेवलपमेंट (Rural Development) करने की अनुशंसा की गई।
Rural Development (ग्रामीण विकास) में एम.ए. उत्तीर्ण छात्रों को क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में शोध (पी-एच.डी.) करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई। चूंकि Rural Development (ग्रामीण विकास) अंतरविषयक विषय (Interdisciplinary Subject) है। इसलिए इसके छात्र अर्थशास्त्र, भूगोल, मानवविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में भी आवेदन दे सकते हैं, उपरोक्त विषय में प्रस्तुत शोध-प्रारूप क्षेत्रीय विकास से संबंधित होना अनिवार्य है।

5. विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं से निर्धारित शुल्क लेकर लिखित उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करने एवं लिखित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् मूल्यांकन से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्धारित शुल्क के आधार पर पुनः मूल्यांकन एवं पुनर्गणना किए जाने संबंधी प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। तदनुसार अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव कार्यपरिषद् एवं तत्पश्चात् समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

6. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ हेतु, विद्यापरिषद् द्वारा नामों के पैनल तैयार करना।


निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS (Carrier Advancement Scheme) के तहत प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विद्यापरिषद् की ओर से पैनल (कम से कम 10 विशेषज्ञों के नाम) बनाकर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों को अधिकृत किया जावे। संकायाध्यक्ष एक सप्ताह के अंदर विषय विशेषज्ञ की विस्तृत जानकारी के साथ पैनल कुलपतिजी को प्रस्तुत करेंगे।


अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. SAP, FIST-DST एवं CPE से अनुदान प्राप्त विभागों को अकादमिक एवं परीक्षा के लिए स्वायत्ता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस हेतु रेगुलेशन बना ली जाय।
3. Exam Reform के अंतर्गत गठित समिति द्वारा प्रश्न पत्र पैटर्न के लिए की गई अनुशंसा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

4. सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने की सिद्धांततः सहमति दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पु. क्रमांक: 5921 / अका./ वि. परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 7 / 10 / 2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)